रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2011/श्रावण 28, 1933

No. 466] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2011/SRAVANA 28, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 631(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित उस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,—

"118. गति नियामक

(1) सभी परिवहन यानों में विनिर्माण के प्रस्तर पर, मूल उपस्कर के विनिर्माताओं द्वारा एक गति विनियामक (गति नियंत्रक युक्ति) लगी होगी जिसमें अधिकतम पूर्व नियत गति सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटा होगी जो समय-समय पर यथासंशोधित मानक ए.आई.एस.: 018 के अनुरूप होगा :

परंतु किसी रजिस्ट्रीकत परिवहन यान में, जो राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे ऐसे परिवहन यानों के प्रचालक द्वारा एक गति नियामक (गति नियंत्रक युक्ति) लगी होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस.: 018 मानक के अनुरूप होगा;

(2) यथास्थिति, गति नियामक मूल उपस्कर के विनिर्माता या प्रचालक द्वारा इस रीति में लगाया जाएगा कि गति नियामक राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सरकारी सील से सील किया जा सके जिससे कि बिना सील तोड़े उसे हटाया या बिगाड़ा न जा सके;

(3) गति नियामक इस प्रकार नियत होगा कि यान की अधोगति के सिवाय यान अधिकतम पूर्वनियत गति से अधिक गति पर चलने में असमर्थ हो जाए।"

[फा. सं. आरटी-11017/13/2005-एमवीएल]

नितिन आर. गोकर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 708(अ), तारीख 30 अगस्त, 2010 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2011

G.S.R. 631(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (f) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. The objections and suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force six months after the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for rule 118, the following shall be substituted, namely :—

"118. Speed governor

(1) All transport vehicles shall be fitted with a speed governor (speed controlling device) by the original equipment manufacturers at the manufacturing stage with maximum pre-set speed of 70 kilometre per hour, conforming to the Standards AIS : 018, as amended from time to time:

Provided that the registered transport vehicles as may be notified by the State Governments in the Official Gazette from time to time shall be fitted by the operator of such transport vehicle with a speed governor (speed controlling device) conforming to the Standards AIS : 018, as amended from time to time.

(2) The speed grovernor shall be fitted by the Original Equipment Manufacturers or the operators, as the case may be, in such a manner that the speed governor can be sealed with an official seal of the State Transport Authority or a Regional Transport Authority in such a way that it can not be removed or tampered with without the seal being broken.

(3) The speed grovernor shall be so set that the vehicle is incapable of being driven at a speed in excess of the maximum pre-set speed of the vehicle except down an incline."

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

NITIN R. GOKARN, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G. S.R. 590(E), dated the 2nd June 1989 and last amended *vide* G. S.R. 708(E), dated the 30th August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.